संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक / अ.प्र. / 2015 / सेल-4/148 भोपाल, दिनांक 28/01/2015

प्रति,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्य प्रदेश।

विषयः–जिला चिकित्सालयों में जिला स्वास्थ्य हेल्प लाईन स्थापित करने के संबंध में।

प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में जननी एक्सप्रेस कॉल सेन्टर्स स्थापित हैं जो 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के प्रत्येक जिला चिकित्सालय में स्थित जननी एक्सप्रेस कॉल सेन्टर्स को जिला स्वास्थ्य हेल्प लाईन घोषित करते हुये जिले में स्वास्थ्य हेल्प लाईन एवं इसके टेलीफोन नम्बर का आम जनता व मरीजों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या होने पर अथवा स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी या सलाह लेने के लिये जिले का कोई भी नागरिक 24X7 कभी–भी स्वास्थ्य हेल्प लाईन के टेलीफोन नम्बर पर फोन कर सकता है एवं हेल्प लाईन में कार्यरत कर्मचारी नागरिकों के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मांगी गई जानकारी उपलब्ध करायेंगें तथा नागरिक की समस्या का समाधान करेगा।

इस हेतु जिला स्वास्थ्य हेल्प लाईन में पदस्थ कर्मचारियों का एक उन्मुखीकरण /प्रशिक्षण आयोजित कर उन्हें चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं, विभाग की समस्त योजनाओं/कार्यक्रमों आदि की जानकारी दें। इसके अतिरिक्त हेल्प लाईन में पदस्थ कार्यकर्ताओं के पास विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तथा चिकित्सालय में उपलब्ध विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, आकस्मिक सेवाओं, चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं, जाँचों, औषधियों आदि से संबंधित साहित्य एवं जानकारी भी उपलब्ध करायें ताकि पूछे जाने पर उपयुक्त जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जा सके।

जिला स्वास्थ्य हेल्प लाईन में पदस्थ कर्मचारियों को यह विशेष निर्देश दिये जायें कि वे किसी नागरिक का फोन प्राप्त होने पर उनके साथ मधुर व्यवहार रखें एवं उनकी समस्या के निराकरण का संपूर्ण प्रयास करें। किसी भी स्थिति में वे धैर्य न खोयें एवं मधुर वाणी में उत्तर दें। यदि किसी रोगी के गंभीर होने की सूचना प्राप्त होती है अथवा किसी मरीज को तत्काल भर्ती कर उपचार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तो जिला स्वास्थ्य हेल्पलाईन के कर्मचारी 108 नम्बर पर फोन कर रोगी के निवास पर एम्बुलेंस भिजवा कर रोगी को समीपस्थ शासकीय चिकित्सालय (जहां पर रोगी के उपचार की समुचित सुविधा उपलब्ध है) भर्ती कराने की व्यवस्था करेंगें।

जिला स्वास्थ्य हेल्प लाईन जनता को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं व्यवस्थाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देने तथा आकस्मिकता की स्थिति में उपचार उपलब्ध कराने के लिये एक अत्यंत उपयोगी व जनहितकारी व्यवस्था है। **आपके जिला चिकित्सालय में जिला स्वास्थ्य हेल्पलाईन स्थापित करने के लिये आवश्यक आदेश तीन दिवस के अंदर**

जारी कर पालन–प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरकर्ता को तीन दिवस में ईमेल (hospital.mphealth@gmail.com, kkthassu@mp.nic.in) पर जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अस्प.प्रशा.)
म.प्र,भोपाल

पृ.क्रमांक/अ.प्र./2015/सेल-41 भोपाल, दिनांक / /2015

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4) समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
5) संचालक, वित्त, एन.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6) अपर संचालक, वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.। सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आपके संभाग के समस्त जिला चिकित्सालयों में जिला स्वास्थ्य हेल्पलाईन स्थापित कर संकलित रिपोर्ट 3 दिवस में ईमेल (hospital.mphealth@gmail.com, kkthassu@mp.nic.in) पर जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अस्प.प्रशा.)
म.प्र,भोपाल

Mr. Thomas
Pl. post this
on Dept. website

28/1/15